बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः–वित्तीय वर्ष 2018–19 में आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (AB-NHPM) कार्यक्रम के माध्यम से SECC-2011 के आँकड़ों से निर्धारित पात्रता के अनुसार राज्य के चिह्नित परिवारों को पाँच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा तथा उक्त योजना को बिहार राज्य में एस्योरेंस मोड में राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के माध्यम से संचालित करने की स्वीकृति ।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में एक महत्वाकांक्षी योजना "आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (AB-NHPM)" प्रारंभ की गयी है। यह एक पात्रता आधारित योजना है और इसके लिए औपचारिक नामांकन प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के तहत सामाजिक–आर्थिक जातीय जनगणना, 2011 के डाटा में निर्धारित पात्रता के अनुसार इस राज्य के लगभग 1,08,95,176 परिवारों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिन्हें इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1,00,29,655 एवं शहरी क्षेत्रों 8,65,521 परिवार शामिल है। गरीब परिवारों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर पर प्राप्त हो जाती है। द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा इस योजना के तहत प्रदान की जा सकेगी। इस योजना के तहत चिह्नित प्रत्येक लाभुक परिवार को देश के सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस एवं पेपरलेस व्यवस्था के तहत प्रतिवर्ष पाँच लाख रुपये तक की चिकित्सा सुरक्षा का लाभ प्रदान करने का प्रावधान है। आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की विशेषताएँ निम्नवत् हैं :–

i. पाँच लाख रुपये तक का चिकित्सा सुरक्षा प्रतिवर्ष प्रति परिवार।

ii. परिवार के आकार, आयु और लिंग का कोई प्रतिबंध नहीं है।

iii. सामाजिक–आर्थिक जातीय जनगणना, 2011 डेटाबेस में मौजूद चिह्नित पात्र परिवारों के सभी सदस्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में शामिल होंगे।

iv. योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को कैशलेस चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

v. पहले से मौजूद सभी बीमारियों पर योजना के पहले दिन से चिकित्सा सुरक्षा प्राप्त होगी। अस्पताल में भर्त्ती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी चिकित्सा सुरक्षा में शामिल हैं।

vi. भारत के किसी भी स्थान में सभी सार्वजनिक या सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में जाकर कैशलेस उपचार करवाया जा सकता है।

2. राज्य में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के तहत गठित होने वाली सोसाईटी **"बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति"** "आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन" के कार्यान्वयन हेतु 'राज्य स्वास्थ्य अभिकरण' के रूप में कार्य करेगी। योजना का कार्यक्षेत्र बिहार के सभी 38 जिले हैं। राज्य में इस योजना को एस्योरेंस मोड में संचालित किया जाना है। इसके तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से बिना बीमा कंपनी को शामिल किए चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की जानी है। राज्य में AB-NHPM के संचालन के लिए स्थापित की जाने वाली सोसाइटी के अधीन आवश्यक संख्या में राज्य एवं जिला स्तर पर पदों का सृजन किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा अस्पतालों का दावा प्रबंधन, धोखाधड़ी नियंत्रण, फिल्ड सपोर्ट जैसे कतिपय कार्यों में सहयोग हेतु Implementation Support Agency (ISA) का चयन किया जाएगा। एतदर्थ एक MoU राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के बीच हस्ताक्षरित हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला आई०टी० फ्लेटफार्म ही राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा उपयोग किया जायेगा।

3. राज्य में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के तहत गठित एक सोसाइटी के रूप में राज्य स्वास्थ्य अभिकरण की स्थापना प्रक्रियाधीन है। जबतक नया "राज्य स्वास्थ्य अभिकरण" कार्यशील (Functional) नहीं हो जाता है, तबतक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के रूप में योजना का प्रबंधन एवं प्रशासन करेगी। राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधी सभी महत्वपूर्ण नीतिगत एवं कार्यान्वयन संबंधित निर्णय राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा अपने उपविधियाँ के अधीन लिए जायेंगे। राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा वहन किए जाने वाले दायित्व निम्नांकित होंगे:–

   (क) राज्य में Implementation Support Agency (ISA) का चयन।

   (ख) योजना के संबंध में प्रचार–प्रसार।

   (ग) अस्पतालों को सूचीबद्ध करना।

   (घ) योजना के प्रगति का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

   (ड़) धोखाधड़ी नियंत्रण।

   (च) चिकित्सा सेवा प्रदाताओं के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई।

   (छ) अस्पतालों के दावों का प्रबंधन एवं शासन।

   (ज) राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा प्रदत्त चिकित्सा पैकेज का आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण एवं संशोधन।

   (झ) राज्य स्वास्थ्य अभिकरण अपने उपविधि के अधीन AB-NHPM के संबंध में आगे सभी नीतिगत एवं क्रियान्वयन संबंधी निर्णय लेने हेतु सक्षम होगा।

4. AB-NHPM के लाभार्थियों को विभिन्न बीमारियों के इलाज हेतु सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर के चिकित्सकीय सहायता हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) द्वारा विभिन्न चिकित्सा पैकेज को चिह्नित किया गया है। राज्य स्वास्थ्य अभिकरण बिहार राज्य के आवश्यकतानुसार NHA द्वारा प्रदत्त चिकित्सा पैकेज का पुनरीक्षण अथवा संशोधन कर सकेगा।

5. जिला स्तर पर एक District Implementation Unit (DIU) की स्थापना की जायेगी। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यरत DIU का मुख्य दायित्व ISA एवं सूचीबद्ध अस्पतालों में समन्वय स्थापित करना एवं ससमय समीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना है। राज्य में AB-NHPM के लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA), State Empanelment Committee (SEC) के माध्यम से निजी एवं सरकारी अस्पतालों को सूचीबद्ध करेगा। अस्पतालों का चयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) द्वारा प्रदत्त मानदंडों के आधार पर अथवा NHA से विमर्श कर आवश्यक संशोधन कर निर्धारित मानदंडों पर किया जाएगा। सभी अन्तःवासी रोगी विभाग (IPD) की सुविधा वाले सरकारी अस्पताल योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वतः सूचीबद्ध होंगे। SHA यह सुनिश्चित करेगा कि AB-NHPM के तहत सभी चयनित अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा प्रदान किए गए Online Portal से सम्बद्ध हैं तथा मानकीकृत ID का उपयोग कर रहे हैं।

6. सरकारी अस्पतालों में इलाज की स्थिति में इस योजना से प्राप्त राशि का एक भाग चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के बीच प्रोत्साहन स्वरूप वितरित किया जा सकेगा तथा शेष राशि का उपयोग संबंधित अस्पताल के आधारभूत संरचना एवं चिकित्सकीय सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु किया जाएगा। पूर्व में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत भी इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। सरकारी अस्पतालों में किसी इलाज विशेष के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक/पर्याप्त चिकित्सक नहीं होने की स्थिति में निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों की भी सेवा ली जा सकेगी तथा उक्त कार्य हेतु प्राप्त राशि का एक हिस्सा इन चिकित्सकों को शुल्क के रूप में प्रदान किया जा सकेगा। इस योजना के तहत निर्धारित कतिपय चिकित्सकीय पैकेज को सिर्फ लोक स्वास्थ्य संस्थानों (Public Health Facilities) के लिए सीमित किया जा सकेगा।

7. इस योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान मित्र का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकेगा, जिनके मानदेय का भुगतान योजनान्तर्गत अस्पताल को प्राप्त राशि से किया जायेगा। Patient load के आधार पर संबंधित अस्पताल में आयुष्मान मित्र की संख्या का निर्धारण किया जा सकेगा। सरकारी अस्पताल में पूर्व से कार्यरत किसी कर्मी के आयुष्मान मित्र की भूमिका का निर्वहन करने की स्थिति में उन्हें भी इस कार्य हेतु अतिरिक्त राशि प्रदान की जा सकेगी। सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को अपने खर्च पर आयुष्मान मित्र की व्यवस्था करनी होगी।
8. सभी सूचीबद्ध अस्पताल किसी प्रकार के लेन–देन हेतु AB-NHPM के IT System का उपयोग करेंगे। इस प्रकार सभी दावों का प्रबंधन कैशलेस एवं पेपरलेस हो सकेगा। यदि अस्पतालों द्वारा किया गया दावा रद्द नहीं है, तो राज्य से किए गए दावा का भुगतान 15 दिनों के अंदर एवं राज्य से बाहर किए गए दावा का भुगतान 30 दिनों के अंदर देय होगा। सूचीबद्ध अस्पताल, लाभार्थियों के Discharge के 24 घंटे के अंदर संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना दावा उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर अपलोड करेंगे। राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) के दिशा–निदेश के अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन करेगा। षिकायतों को IT System के माध्यम से एकत्रित किया जायेगा, ताकि उन्हें ससमय चिह्नित कर हल किया जा सके। शिकायतों एवं प्रतिक्रिया के पंजीकरण के लिए राज्य में कॉल सेंटर की स्थापना की जायेगी तथा कॉल सेंटर को नेशनल हेल्प लाईन से एकीकृत किया जायेगा।
9. आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (AB-NHPM) पर होने वाले व्यय का वहन केन्द्रांश एवं राज्यांश की सम्मिलित राशि से क्रमशः 60:40 के अनुपात में किया जायेगा। योजनान्तर्गत राशि माँग संख्या–20 के अंतर्गत मुख्यशीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्यशीर्ष–60– अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, लघुशीर्ष–110–अन्य बीमा योजनाएँ, उपशीर्ष–0205/0305 (केन्द्रांश/राज्यांश)–आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (AB-NHPM), विपत्र कोड–20–2235–60–110–0205/0305 के अंतर्गत विकलनीय होगा।
10. वित्तीय वर्ष 2018–19 में आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (AB-NHPM) कार्यक्रम के माध्यम से SECC-2011 के आँकड़ों से निर्धारित पात्रता के अनुसार राज्य के चिह्नित परिवारों को पाँच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा तथा उक्त योजना को बिहार राज्य में एस्योरेंस मोड में राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के माध्यम से संचालित करने की स्वीकृति दी जाती है।
11. भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के सिर्फ नाम में यदि कोई परिवर्त्तन किया जाता है तो तद्नुरूप, इस योजना को नाम परिवर्त्तित समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/प०क०–09–26/2018– /पटना, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/प०क०–09–26/2018– /पटना, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/प०क०–09–26/2018 /पटना, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/प०क०–09–26/2018– /पटना, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/निदेशक, इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी क्षेत्रीय उप–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/प०क०–09–26/2018– /पटना, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–28.08.2018 में मद संख्या–25 के आलोक में की गई कार्रवाई के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/प०क०–09–26/2018–765(12)/पटना, दिनांक 05/09 /2018

प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकरी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/9/2018
सरकार के प्रधान सचिव।